[श्री पी० के० देव]

राष्ट्रपति जी ने आर्थिक स्थिरता की चर्चा की है जबकि वास्तविक राष्ट्रीय आय में 4160 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ-साथ 6741 करोड़ रुपये का पूंजी फैलाव भी हुआ है । यही असंतुलन आर्थिक संकट का मुख्य कारण है । यही असंतुलन 1971-72 में और बढ़ा है । जहां राष्ट्रीय आय में केवल 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहां पूंजी-सप्लाई 54 प्रतिशत बढ़ गई है । मूल्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और खाद्य वस्तुएं जहां 1961-62 में 100 रुपये की जितनी मात्रा में उपलब्ध थी आज उतनी मात्रा का मूल्य 360 रुपये है । रुपये की क्रय शक्ति घट कर एक-चौथाई रह गई है । मूल्य में जो क्षणिक कमी आई है उस पर अभिभाषण में संतोष व्यक्त किया गया है जबकि यह अस्थायी सुधार है । चावल का मूल्य चार-गुना हो गया है और जनसाधारण इसे नहीं खरीद पा रहा है । इस स्थिति में खाद्य निगम की गड़बड़ी से और खराबी आई है । अब स्थिति यह है कि गावों में युवा-वर्ग चाहता है कि फालतू अनाज पंचायतों में रखा जाये ताकि मंदी के वर्षों में काम आ सके जबकि सरकार इसे मिलों को दिलाना चाहती है जो 25 प्रतिशत का निर्माण करके शेष को बाजार में मनमाने मूल्य पर बेच सके । इस कारण सम्बलपुर, छत्तीगगढ़ और बालाघाट में झड़पें भी हुई हैं । मैं हिंसा रोकने में सरकार की इस असफलता की निन्दा करता हूं जो श्री मिश्र और श्री परशूराम सतपथी की मृत्यु के रहस्यों का उद्घाटन अभी तक नहीं कर पाई है ...

सभापति महोदय : सदस्य महोदय अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं । अब प्रधान मंत्री जम्मू-काश्मीर पर वक्तव्य देंगी ।

जम्मू और काश्मीर के संबंध में वक्तव्य
Statement re : Jammu and Kashmir

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस देश में सभी लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष तथा प्रगतिशील तत्वों का सक्रिया सहयोग और सहभागिता प्राप्त करने की सरकार की नीति के अनुपालन में, यह वांछनीय समझा गया कि शेख अब्दुल्ला के साथ बातचीत की जाए । माननीय सदस्य गण इस बात से अवगत है कि स्वतंत्रता संग्राम तथा भारत संघ में जम्मू और काम्मीर राज्य के विलयन में शेख अब्दूल्ला की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । स्वतंत्रता के बाद उन्होने राज्य में सरकार बनाई और कई वर्षों नक वे उस सरकार के प्रमुख रहे। उन मतभेदों के बावजूद जिनके कारण बाद में मनमुटा हुए, शेख अब्दुला के सार्वजनिक वक्तव्यों तथा उनके साथ हुई निजी बातचीत से यह साफ प्रतीत हुआ कि आधारभुत राष्ट्रीय आदर्शो और उद्देश्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारत संघ में इस राज्य का विलयन अंतिम और अपरिवर्तनिय है । उनकी मुख्य चिंता अगस्त 1953 के बाद हुए कानूनी तथा संवैधानिक परिवर्तनों के संबंध में थी ।

यह निश्चय किया गया कि मिर्जा अफजल बेग, जो इस काम के लिए शेख अब्दुला की तरफ से मनोनीत किए गए थे, और श्री जी०-पार्थसारथी, जिनको मैंने यह काम सौंपा, इन परिवर्तनों की गहराई से जांच करने के बाद उपयुक्त सिफारिशें करें। व्यापक विचार-विमर्श के बाद बहुत से मुद्दोंपर उनका समझौता हो गया, जिन्हें सहमत निष्कर्ष में शामिल कर लिया गया है, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। ये निष्कर्ष राजनीतिक स्तर पर आगे विचार-विमर्श के विषय बने, जिसमें शेख अब्दुल्ला, राज्य के मुख्य मंत्री सैयद मीर कासिम और सरदार स्वर्णसिंह ने भाग लिया।

इनके परिणाम स्वरुप एक समझौता हुआ है, जो कि मेरे और शेख अब्दुला के बीच हुए पत्रव्यवहार में प्रकट है, जिनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है। मैं इस समझौते की कुछ आधारभूत विशेषताओं की चर्चा करुंगी।

ये सहमत निष्कर्ष भारत के संविधान के ढ़ांचे के अन्तर्गत निकले हैं। जम्मू और कश्मीर राज्य तथा संघ के बीच संवैधानिक संबध जैसे रहे हैं वैसे ही रहेंगे और संविधान की भावी प्रावधानों का राज्य में विस्तार अनुच्छेद 370 में निर्धारित कार्यविधि द्वारा ही संचालित होता रहेगा। भारत संघ और इसकी अंगीभूत इकाइयों के बीच, जिनमें जम्मू और कश्मीर भी एक है, वर्तमान संबंध कमजोर नहीं होंगे। भारत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर संदेह करने या उसे नष्ट करने अथवा संघ से भारत के किसी भी क्षेत्र को खत्म करने या अलग करने की कार्रवाईयों का सामना करने के केन्द्र का क्षेत्राधिकार भी वैसा ही रहेगा। इस बात पर भी सहमति हो गई है कि कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर राज्य के संविधान में कोई भी संशोधन तब तक प्रभावकारी नहीं होगा जब तक कि राष्ट्रपति से इस पर स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाएगी। सहमत निष्कर्षों में राज्य को इस बात का पुन : विश्वास दिलाया गया है कि समवर्ती सूची में कल्याण संबंधी उपायों, सास्कृतिक मामलों सामाजिक सुरक्षा, कार्यविधि संबंधी कानून तथा इस प्रकार के मामलों पर 1953 के बाद बने किसी केन्द्रीय कानून में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव राज्य सरकार यदि करती है तो इस विधेयक पर स्वीकृति देने में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

मिर्जा अफजल बेग ने यह प्रस्ताव रखा था कि राज्य के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कम कर दिया जाना चाहिए। इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि याचिकाओं, अपीलों और दूसरे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक और अपील का अधिकारक्षेत्र बना रहे। लेकिन अनुषंगिक पत्रों द्वारा (जिनकी प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।) इस बात पर सहमति हो गई थी कि अनुच्छेद 132(2) का प्रावधान, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण-पत्र अस्वीकार किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय को विशेष इजाजत देने का अधिकार निहीत है, राज्य पर लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बारे में कोई कार्रवाई तभी की जाएगी जबकि राज्य सरकार इन संबंध में कोई प्रस्ताव रखेगी।

माननीय सदस्य गण देखेंगे कि गवर्नर और चीफ्मिनिस्टर के पदनामों का प्रश्न तय नहीं हो पाया है। यह एक ऐसा मामला है जिसकी व्यवस्था राज्य के संविधान में है जो इस समय 'गवर्नर' और 'चीफ् मिनिस्टर' पदनामों का प्रयोग कर रहा है। इन पदनामों में परिवर्तन राज्य के विधान मंडल द्वारा राज्य के संविधान में संशोधन करने के बाद ही किया जा सकता है। जहां तक चीफ मिनिस्टर का सवाल है अगर जम्मू और काश्मिर राज्य का विधान मंडल अपने संविधान में तदनुरुप संशोधन करले तो राज्य में वजीरे आज़म पदनाम स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जबतक यह नहीं हो जाता वर्तमान पदनाम ही चलता रहेगा।

शेख अब्दुल्ला इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि शुरु में राज्य और केन्द्र का संवैधानिक संबंध वही होना चाहिए जो 1953 में था जब वे सत्तारुढ़ थे। उन्हें यह समझा दिया गया था कि काल-चक्र की गति को उलटा नहीं किया जा सकता। मिर्जा अफ़जल बेग ने इस बात पर जोर दिया था कि आधारभूत अधिकार से संबंध प्रावधान राज्य के संविधान को हस्तांतरित कर दिए जायें, चुनावों पर भारत के निर्वाचन आयोग का अधीक्षण और नियंत्रक हटाकर उसे राज्य विधान मंडल को सौंप दिया जाए, और अनुच्छेद 356 को इस तरह संशोधित किया जाए कि राज्य मे राष्ट्रपति कानून लागू करने से पूर्व राज्य सरकार की सहमति अपेक्षित हो। इनमें से किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करना संभव नहीं था। इस बात के लिए मैं शेख अब्दुला की सराहना करती हूं कि इन मसलों पर अपनी दृढ धारणाओं के बावजूद उन्होंने सहमत निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया है।

[श्रीमती इन्दिरा गांधी]

यह जो समझौता हुआ है उस से और शेख साहेब तथा उनके अनुयायीयों के साथ राजनैतिक सहयोग के प्रति अपनाए गये दृष्टिकोण से राज्य सरकार सहमत है और यह मानती है कि यह राज्य और देश के हित में है ।

माननीय सदस्यों ने मिर्जा अफजल बेग का 6 फरवरी 1975 का इस आशय का वक्तव्य देखा होगा कि बदली हुई परिस्थितियों में "प्लेबिसाईट" बेमानी हो गया है और प्लेबिसाईट फ्रण्ट का नाम और उसके उद्देश्य भी तदनुसार बदलने होंगे । हमें यह सूचना दी गई है कि इस पार्टी की कार्यकारणी की हाल की बैठक में इस वक्तव्य का अनुमोदन किया गया है और मिर्जा अफजल बेग को इस संबंध में आगे कि आवश्यक कार्यवाही करने के लिए उक्त मोर्चे की जनरल बाडी की बैठक बुलाने का काम सौंपा गया है ।

जैसा कि इस वक्तव्यव्यवहार से पता चलता है, शेख अबदुल्लाने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जम्मू और कश्मिर का भविष्य भारत के साथ साथ जुड़ा हुआ है और लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवाद के आदर्शों में आस्था रखन वाले व्यक्ति के रुप में वे इस राज्य और संघ के बीच संबंध और मजबूत करने के उद्देश्य से अपना सहयोग देने के लिये अपना हाथ बढ़ाया है । हमें पूरा विश्वास है कि वे इस राष्ट्र को मजबूत करने तथा इसके आदर्शों को बनाए रखने में अपना विशिष्ट योगदान देगे ।

यह समझौता पूरी तरह हमारा एक आंतरिक मामला है । समझौते की इस भावना के साथ राजनीतिक समस्याओं का संतोषजनक समाधान खोजने के लिए सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है । शेख अबदुल्ला के साथ मत-भेदों को जिस प्रकार दूर किया गया है वह हमारे लोकतंत्र की क्रियाशीलता की जीवंतता का परिचायक है । मैं सच्चे हृदय से आशा करती हूं कि इस समझौते से जम्मू और कश्मीर राज्य के उन लोगों के साथ समझबूझ और सहयोग का एक नया युग आरंभ होगा जो पिछले दो दशाब्द में राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के साथ नहीं चल सके हैं। इस से राज्य और शेष भारत के लोगों के बीच हित और आदर्शों की समानता भी सुस्पष्ट हो जाएगी और हमारी राष्ट्र के प्रगतिपथ में यह सदैव एक महत्वपूर्ण घटना समझी जाएगी ।

मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखती हूं —

(1) मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग और श्री जी० पार्थसारथी के बीच 13 नवम्बर, 1974 को किये गये सम्मत निर्णय ।

(2) प्रधान मंत्री के नाम शेख मोहम्मद अबदुला का दिनांक 11 फरवरी, 1975 का पत्र ।

(3) प्रधान मंत्री का शेख मोहम्मद अबदुल्ला को दिनांक 12 फरवरी, 1975 का पत्र ।

(4) मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग और जी० पार्थसारथी के बीच आदान-प्रदान किये गये दिनांक 13 नवम्बर, 1974 के सम्बन्धित पत्र ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 8966/75]

Shri Atal Behari Vajpayee (Gwalior): Sir, my submission is that the documents laid on the Table should be circulated among Members. Secondly, I want a clarification from the Prime Minister (*Interruption*). Discussion would be there separately.

According to Mirza Afzal Beg, the Cental Government have agree to make Art. 370 permanent whereas according to the late Shri Nehru it will die it own death by and by. So whether Shri Beg's contention is right?

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : पहले वह ये दस्तावेज पढ़ ले । ये बातें बाद की हैं ।